


152 154

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक R. 5520-2/16



संस्थापन दिनांक 23.7.08

10/—



1- रमाकांत तनय स्व. इन्द्रभान राम ब्राम्हण

2- मुसम्मात छोटकी वेवा स्व. इन्द्रभान राम ब्रा.


दोनों निवासी गण देवरी सेंगरान थाना नईगढी तह. मऊगंज जिला-
रीवा म. प्र. ——— आवेदक गण

बनाम

1- श्री रामलल्लू ब्रा. पिता स्व. इन्द्रभान राम ब्रा.

2- श्रीमती उर्मिला पुत्री स्व. इन्द्रभानराम ब्रा.

दोनों निवासी ग्राम देवरी सेंगरान थाना नईगढी तह . मऊगंज जिला-
रीवा म. प्र. ——— अनावेदक गण



आवेदक रमाकांत वा.
स्वतः उपस्थित होकर पत्र
लिखा गया।
30.11.16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र.
भू- राजस्व संहिता 1959 ई.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा आदेश
9 नियम 7 जा. दी.

आवेदनपत्र बावत प्रकरण को
पुनःस्थापित किये जाने बावत जो
दिनांक 26.10.16 को अदम पैरवी
में आवेदक के अनुपस्थिति में
खारिज कर दिया गया है।

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक आर
843-111 /08

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं:-


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

R- 5520-प्र। अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-5520-II/16

जिला-रीवा

रमाकांत / रामलल्लू

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	